न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—275/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/275)

1. सांवरलाल पुत्र रामसुख खाती जाति खाती निवासी बी—सेक्टर भीलवाडा।

अपीलांट

बनाम

1. सीतादेवी पत्नि कालूराम जाति जाट, निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

3. छीतर पुत्र भूरा तेली
4. महावीर पुत्र भूरा तेली
5. मांगी पत्नि भूरा तेली
6. रामधन पुत्र भूरा तेली
   समस्त जाति तेली, निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 राजस्व वाद संख्या 97/2023 (2023/247)

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 तलबी बंद

निर्णय

दिनांकः— 30.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2023 (2023/247) में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष

प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 18.03.2025 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2023 (2023/247) में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2025 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि प्रार्थी ने अपने प्रकरण की पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था तथा अधिवक्ता ने प्रार्थी को कह रखा था कि राजस्व प्रकरण लम्बे चलते है इसलिए तुम्हें हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें सूचित कर बुलवा लुंगा, परन्तु अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को प्रकरण में निर्णय होने की कोई जानकारी नहीं दी। प्रार्थी ने दिनांक 23.04.2025 को अपने प्रकरण की जानकारी करने हेतु जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अधिवक्ता ने प्रार्थी को प्रकरण में निर्णय पारित होने की जानकारी दी तथा अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय प्रदान की। जिस पर अधिवक्ता द्वारा अपील हेतु आवश्यक दस्तावेजों की नकल हेतु उसी दिन आवेदन किया तथा दिनांक 28.04.2025 को नकल प्राप्त की। लेकिन प्रार्थी अपरिहार्य कारणों से अपने अभिभाषक से नकल प्राप्त करने नहीं जा सका। प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 08.06.2025 को अपने अभिभाषक से जाकर सम्पर्क किया गया तथा अभिभाषक से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर एवं प्रकरण संबंधित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थी द्वारा अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया गया, जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील न्यायालय के समक्ष जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी का प्रकरण गुणावगुण पर बनता है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किए जाने योग्य बनता हो, तो मियाद को कन्डोन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में हुई देरी जानकारी के अभाव में हुई सदभाविक देरी है। जिसे क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद के बिन्दु पर नरम एवं उदार रूख अपनाया जाना चाहिए तथा प्रकरण को तकनीकी बिन्दुओं पर खारिज ना कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, ताकि पक्षकार अपने हक व अधिकारों तथा न्याय से वंचित ना हो। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। मियाद कानून एक प्रक्रियात्मक कानून है

एवं प्रक्रियात्मक कानून न्याय प्रदान करने के लिए है, ना कि न्याय का हनन करने के लिए। प्रक्रियात्मक कानून के आधार पर किसी भी पक्षकार को उसके हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए एवं यह न्याय की मंशा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 69 व 70 में अंकित आज्ञापक प्रावधानों व नियमों की मंशा को समझे बिना अवैधानिक रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार को रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता होने एवं खातेदार के पास में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना होने पर सुविधाजनक सबसे नजदीकी रास्ता खातेदार को प्रदान किये प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट से यह पूर्णतया साबित है कि अपीलांट के पास कोई भी रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिये थे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना

अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थीगणों के आवागमन बाबत् रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 451 के बाद खातेदारी खसरा नम्बर 453, 476, 477 से होता हुआ रास्ता मौजूद होना अंकित किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उक्त विरोधाभाषी कथन अंकित किये है, क्योंकि खसरा नम्बर 453, 476, 477 में कोई रिकार्डेड रास्ता अंकित नहीं है, उक्त खसरा नम्बर खातेदारी की आराजी है एवं यहां यह भी गौरतलब है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि व रास्ते के मध्य में खसरा नम्बर 453, 476, 482, 477 के खातेदारान द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया है" इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट के पास अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है और ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। तहसीलदार भिनाय द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि "प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 484 व 485 की पश्चिम मेर से रास्ता चाहा गया है, किन्तु पश्चिम मेर पर पक्की दीवार बनी हुई है अतः यहां से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूर्व दिशा की मेर से रास्ता प्रस्तावित किया जा रहा है।" इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 484 व 485 की पूर्वी मेर से रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। यहां यह भी गौरतलब है कि जब प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो प्रार्थी को उसकी आराजी आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को किसी भी तरफ से रास्ता दिलवाये बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से खारिज फरमा दिया जो कतैई न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है और उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। अपीलांट के पास अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 483 में आने जाने हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है इसलिए अपीलांट को अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी का उसकी आराजी में आने जाने हेतु सबसे लघुतम एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आराजी में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध करवाये बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से खारिज फरमा दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायायल द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा एवं प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को समझे बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2023 (2023/247) में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 18.03.2025 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रकरण में दिनांक 26.09.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि " खसरा नम्बर 483 में पहुंच हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी की आराजीयात में आवागमन हेतु लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 484 व 485 से होना बताया गया है।" मौका रिपोर्ट में प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है व रास्ते की मांग उचित होना अंकन किया गया है।

मौका रिपोर्ट की बिंदु संख्या 6 में उल्लेख किया गया है कि " प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 483 तक पहुंच हेतु उत्तर दिशा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 451 (गै0मु0 रास्ता) का रास्ते हेतु प्रयोग किया जाता रहा है **(वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि व रास्ते के मध्य में खसरा नम्बर 453, 476, 482, 477 के खातेदारान द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है।)** "

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन नहीं कर प्रकरण में सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। चूंकि मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग होना तो बताया गया परंतु इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त रास्ता पूर्व में चालू था या नहीं तथा प्रार्थी उक्त रास्ते से अपने कृषि संयत्रों को ले जा सकता है अथवा नहीं। यह संपूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में वर्णित थे, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनका अवलोकन किए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2023 (2023/247) में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षों को मौका रिपोर्ट बाबत नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में नियम 69 की पालना करते हुए, मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करे व मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग की स्पष्ट रूप से लंबाई/चौडाई का भी अंकन करते हुए उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे व अधीनस्थ न्यायालय रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित रहने

के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर